<u>तत्काल / अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण</u>

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, 85 / 87—राजपुर रोड, देहरादून

पत्रांकः नि0 1935 / 3—3 (मांग प्रस्ताव) **दिनांकः देहरादून, 05 अप्रैल, 2019**

सेवा में,

समस्त वन संरक्षक / निदेशक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

विषय :— **वित्तीय वर्ष 2018—19 में केन्द्र पोषित योजना इन्टैन्सिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र एवं प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने विषयक।**

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में अवगत कराना है कि प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत अनुदान सं0 27 एवं 30 में विभिन्न वन प्रभागों को वित्तीय वर्ष 2018—19 में केन्द्र पोषित योजना इन्टैन्सिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत कार्य मदवार धनराशि आवंटित की गयी थी।

कृपया उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष विगत वर्षों की भांति निर्धारित प्रपत्र में प्रभागवार उपयोगिता प्रमाण—पत्र एवं मानक मद / कार्यमदवार भौतिक / वित्तीय प्रगति सूचना तथा निर्माण कार्यों के फोटोग्राफ जी.पी.एस. लोकेशन सहित इस कार्यालय को दिनांक 20.04.2019 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए भारत सरकार की पुनरीक्षित गाईडलाईन के आधार पर (गाईडलाईन की प्रति संलग्न) प्रभागवार वार्षिक कार्य योजना भी मुख्य वन संरक्षक, आपदा एवं वनाग्नि, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्न</u> :—यथोपरि।

भवदीय,

05/04

(डॉ0धनंजय मोहन)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

<u>संख्याः नि0 1935 (1) / 3—3 (मांग प्रस्ताव) तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, गढ़वाल [illegible] उत्तराखण्ड।

(डॉ0धनंजय मोहन)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

O/C